जनसत्ता

सजा और संदेश

अदालत की अवमानना के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव और एजेंसी के कानूनी सलाहकार को सर्वोच्च अदालत ने जो सजा दी, उसका बड़ा संदेश गया है। संदेश यह है कि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हों, वह कानून से ऊपर नहीं है और उसे विधि के शासन को मानना ही होगा। दोनों अधिकारियों को अदालत उठने तक एक कोने में बैठा दिया गया और एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया। यह अदालत की सर्वोच्चता और सम्मान से जुड़ा मसला है। सवाल है कि अगर सर्वोच्च अदालत के फैसलों-आदेशों की अवहेलना होने लगेगी, तो लोकतंत्र का यह सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभ कैसे काम कर पाएगा और कैसे इसके अस्तित्व की रक्षा हो पाएगी! कैसे हम निष्पक्ष न्याय की कल्पना कर पाएंगे? सर्वोच्च अदालत का काम संविधान की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। लेकिन नागेश्वर राव का प्रकरण बताता है कि हमारे नौकरशाहों में अपने को कानून से ऊपर मान कर चलने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है।

नागेश्वर राव ने सीबीआइ के अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी संभालने के बाद जिन अफसरों का तबादला किया था, उन्हीं में बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच करने वाले सीबीआइ के संयुक्त निदेशक एके शर्मा भी थे। शर्मा को इस जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सौंपी गई थी। जाहिर है, बिना सर्वोच्च अदालत की अनुमति के शर्मा का तबादला नहीं किया जा सकता था। मगर उन्हें सीबीआइ से हटा कर सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भेज दिया गया। ऐसा कर नागेश्वर राव ने सर्वोच्च अदालत की तौहीन की। इस फैसले पर पहला सवाल तो यही उठा कि आखिर नागेश्वर राव एक गंभीर मामले की जांच के लिए अदालत की ओर से नियुक्त अधिकारी को क्यों हटाना चाहते थे। इससे यह आशंका जन्म लेती है कि क्या किसी दबाव में आकर राव ने शर्मा का तबादला किया होगा! वरना शर्मा के तबादले की वजह क्या हो सकती थी।

जिस तरह सीबीआइ के पूर्व अंतरिम निदेशक ने सर्वोच्च अदालत के आदेश को धता बताई, उससे उनके विवेक पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआइ निदेशक का पद खाली होने के बाद कार्यवाहक निदेशक के रूप में एजेंसी के प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने वाले नागेश्वर राव वष्ठितम आइपीएस अफसरों में हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या उन्हें यह जानकारी नहीं रही होगी कि जब सर्वोच्च अदालत ने शर्मा के तबादले पर पाबंदी लगा रखी है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था! अगर करना ही था, तो उसके लिए सर्वोच्च अदालत से अनुमति लेते। शर्मा के तबादले जैसा कदम उठा कर राव ने न सिर्फ विवेकहीनता का परिचय दिया, बल्कि उससे एक पुलिस अधिकारी के उस दंभ को भी प्रकट किया, जिसमें अपने को अदालत से ऊपर मान कर चलने की दुष्प्रवृत्ति झलकती है। नागेश्वर राव ने जरा भी नहीं सोचा कि वे जिस ओहदे पर हैं उसकी एक गरिमा है, उनके अधीनस्थ साथी उनके रुख का अनुसरण करने लगेंगे तो क्या होगा? हाल में सीबीआइ जैसे शीर्ष जांच संस्थान की साख को इसके सर्वोच्च अधिकारियों की वजह से काफी धक्का लगा है। पहले शीर्ष अफसरों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और फिर एक अंतरिम प्रमुख ने सर्वोच्च अदालत को कमतर आंकने का दुस्साहस किया। सवाल है कि ऐसे अधिकारी होंगे तो कैसे निष्पक्ष और सुशासन की कल्पना की जा सकती है!

हिंसा की सियासत

राजनीतिक दलों को अब शायद लोकतांत्रिक तौर-तरीकों पर विश्वास नहीं रह गया है। मामूली बातों पर भी वे हंगामा खड़ा करने और अपने कार्यकर्ताओं को असहज स्थिति पैदा करने के लिए उकसाने से परहेज नहीं करते। प्रयागराज में भी यही हुआ, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और कई जगह पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़पें भी हुईं। कई जगह बसपा कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ दिया। अब उनका आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोका गया। जबकि हकीकत यह है कि अखिलेश यादव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्रम रद्द करने संबंधी सूचना पहले ही दे दी गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस को आशंका थी कि उनके आने से विश्वविद्यालय के छात्रों में उत्तेजना फैल और उनमें टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और सुरक्षा कारणों से प्रशासन ऐसी किसी भी स्थिति को टालना चाहता था। मगर अखिलेश यादव ने उस आदेश को नहीं माना और प्रयागराज के लिए हवाई जहाज लेने लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंच गए। वहां प्रशासन ने उन्हें रोका।

लोकतंत्र में अपनी बात कहने, सभा-संगोष्ठी करने का हर किसी को अधिकार है, पर जब किसी की सभा-संगोष्ठी से समाज के किसी हिस्से में वैमनस्यता या उत्तेजना फैलने की आशंका हो, तो प्रशासन का दायित्व बनता है कि वह उसे रोके। उत्तर प्रदेश सरकार का यह तर्क गलत नहीं कहा जा सकता कि कुछ दिनों पहले जब अखिलेश यादव प्रयागराज गए थे और कुंभ में स्नान किया था, तब उन्हें नहीं रोका गया था। इस बार उनकी पार्टी के लोगों की मंशा संदेहास्पद थी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रयागराज में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे थे और अखिलेश यादव को रोके जाने की सूचना मिलते ही वे आंदोलन पर उतर आए थे। अगर अखिलेश यादव को विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, तो इस तरह उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां क्यों जमा हुआ था। वे अकेले जाते, अपनी बात कहते और लौट आते। कुछ महीने पहले ही इलाहाबाद छात्र संगठन का चुनाव हुआ था, जिसमें नतीजों के बाद छात्र गुटों में हिंसक झड़पें हुई थीं। यहां तक कि एक छात्रावास के कमरों में आग लगा दी गई थी। उससे सपा के समर्थक छात्र आक्रोश में हैं। इसलिए अगर प्रशासन को किसी तरह की कानून-व्यवस्था संबंधी गड़बड़ी की आशंका हुई, तो वह निर्मूल नहीं कही जा सकती।

दरअसल, आम चुनाव नजदीक हैं, इसलिए विपक्षी दल हर मामले को सत्ता पक्ष के विरोध में पेश करने का मौका तलाशते हैं। अखिलेश यादव के रोके जाने की घटना को भी इसी मंशा से उभारा गया। विश्वविद्यालय पठन-पाठन के केंद्र होते हैं, राजनीति के अखाड़े नहीं। ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालयों में राजनेताओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, पर उन्हें विश्वविद्यालयों की गरिमा और उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही वहां जाना चाहिए। अगर अखिलेश यादव को आमंत्रित करने वाले छात्र संगठन और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मर्यादा का पालन करना जरूरी नहीं समझा, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को वह कार्यक्रम रद्द करने का पूरा अधिकार था। इस पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को क्यों एतराज होना चाहिए।

कल्पमेधा

जो व्यक्ति निश्चय कर लेता है उसके लिए
असंभव कुछ नहीं है।
– इमर्सन

स्मार्ट सिटी और अतिक्रमण

विकेश कुमार बडोला

बढ़ती जनसंख्या, आबादी का महानगरों व बड़े शहरों में बढ़ता केंद्रीकरण और वर्षों से चली आ रही विकास संबंधी नियोजनहीनता के कारण शहरों और गांवों, सभी स्थानों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। अनियोजित शहरों में आबादी के भार से अतिक्रमण, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध सामाजिक-आर्थिक व्यवहार बढ़ रहा है। अनुचित योजना से बसाए गए शहरों में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी जनसंख्या को पहचानना भी कठिन जान पड़ रहा है।

प्रत्येक देश अपना समुचित विकास करने के लिए अपने हिस्से के भूगोल में रचे-बसे शहरों और गांवों को निरंतर व्यवस्थित, प्रबंधित और नवोन्नत प्रौद्योगिकियों व तकनीकी विधियों से अनुरक्षित करने की योजना बनाता है। लेकिन क्या ऐसी योजना का सफल व समयबद्ध क्रियान्वयन हरेक राष्ट्र कर पाता है? क्या भारत इस दिशा में सही काम कर रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए उत्साहजनक नहीं हैं। कम से कम पांच-छह वर्ष पूर्व तक तो इस दिशा में सरकार की ओर से कोई व्यापक योजना अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जा रही स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इस दिशा में भविष्य में बहुत कुछ होने की प्रबल संभावना है।

जब कोई देश अपने नगरों-ग्रामों का नियोजन करता है, तो नियोजकों के सम्मुख केवल वर्तमान मानवीय जीवन-संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की सुनियोजित आपूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं के उपभोग के बाद उत्पन्न जल-मल व अन्य अपशिष्ट-अवशेष के यथोचित प्रबंधन, परिष्करण और इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाने, परिवेश को स्वच्छ, आदर्श तथा दर्शनीय बनाने की ही चिंताएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि नगर-ग्राम निर्माताओं की अभिकल्पना में शहरों और गांवों से संबंधित सभी निर्माण योजनाएं शताधिक वर्षों के समय-मानकीकरण पर आधारित होनी चाहिए। जब इस प्रकार शहरीकरण होगा, शहर का विकास किया जाएगा तब ही विकास के विभिन्न दुष्परिणामों सहित अति व अवैध जनसंख्यायिकी दबाव के कारण सार्वजनिक सड़कों-स्थानों पर व्याप्त अतिक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी। विकास की इस परिकल्पना का सहज क्रियान्वयन सुगम नहीं होगा। इसके लिए भविष्य में जनसंख्या और विज्ञान व तकनीकी की स्थिति, आविष्कृत किए जाने वाले उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं तथा आधुनिक जीवन सुविधाओं के समुचित उपभोग-उपयोग की स्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने से पूर्व मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले भोगोपभोग के दुष्परिणामों और सद्परिणामों आदि का विस्तृत आकलन किया जाना भी बहुत जरूरी है। यदि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद स्मार्ट सिटी परियोजना साकार होती है और तदुपरांत विकास कार्य किए जाते हैं तो समुचित रूप में विकसित देश के आदर्श शहरों-गांवों की कल्पना साकार हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत देश के अनेक शहरों का पुनरुद्धार करने के लिए एक विस्तृत नीति बनाई तो है, परंतु इस नीति पर आरंभ से लेकर अंत तक जिस परिश्रम से काम किए जाने की आवश्यकता है, उसके लिए पहली जरूरत है राजनीतिक स्थिरता की। केंद्र में भविष्य में जिस राजनीतिक दल की सरकार होगी उसके दृष्टिकोण, सुशासन और सत्यनिष्ठा पर ही विकास की किसी भी नीति की परिणति निर्भर करती है। चूंकि इस देश में विभिन्न दलों की सरकारों के बनने-बिगड़ने की रीति रही है, इसलिए किसी एक दल की सरकार के सत्ता में रहने की संभावना कम ही है। ऐसे में स्मार्ट सिटी हो या कोई अन्य विकास संबंधी नीति, उस पर सुनियोजित काम कैसे संभव है! और क्या तब तक अतिक्रमण जैसी समस्या से भारत के शहर-गांव ऐसे ही पीड़ित-प्रताड़ित होते रहेंगे? सत्ता में विभिन्न दलों की सरकारों के आने-जाने के दुष्चक्र से अलग शहरों और गांवों के समुचित विकास के लिए अतिक्रमण मुक्त कार्यक्रम हमेशा नियोजित होते रहने चाहिए। चूंकि स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं के पूर्ण होने में दशकों लग जाएंगे, इसलिए तब तक अनियोजित व अतिक्रमण ग्रस्त शहरों व गांवों को यथास्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता।

देश की राजधानी दिल्ली सहित भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जिसकी सार्वजनिक सड़कों, संपत्तियों और परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं है। ऐसा अतिक्रमण सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि, पुरातात्विक संदर्भ के स्मारकों और अन्य विरासत स्थलों पर किया जाने वाला अतिक्रमण है, जो एक बड़ी आबादी के अस्थायी आवासन से शुरू होकर धीरे-धीरे देश के शीर्ष व संवैधानिक आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक मानकों के उल्लंघन के रूप में प्रकट होता है और जो देश के न्यायालयों व वैश्विक मानवाधिकार संस्थाओं के लिए न्यायिक विवेचना का विषय बन कर अंततः समाधान के बिना राष्ट्र-विरोधी राजनीति का बड़ा माध्यम बनता है।

भारत में सार्वजनिक संपत्तियों पर किए जाने वाले ऐसे अतिक्रमण सीमावर्ती प्रदेशों में सबसे ज्यादा हुए हैं। पूर्वोत्तर में बांग्लादेश की सीमा से लगते असम, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेश सबसे पहले तो शताब्दियों से अवैध घुसपैठ, प्रवासन का लक्ष्य बने और कालांतर में अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण से भी ग्रस्त रहे। यही स्थिति जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में भी रही, जहां पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले अवैध प्रवासियों ने अतिक्रमण का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब जैसे प्रांतों में तो धार्मिक आधार पर प्रांत-विभाजन के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाने लगा। अतिक्रमण की यह कुरीति आरंभ में तो भारतीय नागरिक, परिवार, समाज और शासन को दिखाई नहीं देती, लेकिन कालांतर में यह इतना वीभत्स रूप धारण करती है कि अतिक्रमणकारी तो देश के मूल नागरिक प्रतीत होते हैं और मूल नागरिक प्रवासी। राजनेता भी राजनीति के लिए अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। सड़क से उठने वाली अतिक्रमण की यह गंदगी शनैः-शनैः देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिकता, संस्कृति, संविधान, विधि-विधान सब में पैठ बनाने लगती है। अर्थव्यवस्था, सकेल घरेलू उत्पाद का आकलन करने के लिए जिस असंगठित क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, विडंबना समझें या राष्ट्रीय प्रशासन की अयोग्यता, उसमें अतिक्रमण वाली आबादी का आधे से अधिक प्रतिशत होता है। बढ़ती जनसंख्या, आबादी का महानगरों व बड़े शहरों में बढ़ता केंद्रीकरण और वर्षों से चली आ रही विकास संबंधी नियोजनहीनता के कारण शहरों और गांवों, सभी स्थानों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। अनियोजित शहरों में आबादी के भार से अतिक्रमण, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध सामाजिक-आर्थिक व्यवहार बढ़ रहा है। अनुचित योजना से बसाए गए शहरों में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी जनसंख्या को पहचानना भी कठिन जान पड़ रहा है। अनियोजित तरीके से बसाए गए शहरों के कारण केवल परिवहन, सड़क, पर्यावरण जैसी समस्याएं ही पैदा नहीं होती, बल्कि इसकी आड़ में अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी बेरोजगारी, लूट, हत्या, चोरी-डकैती, बलात्कार, सामाजिक व्यभिचार, असभ्यता और अर्थव्यवस्था में ठहराव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न करती है। अनियोजित विकास और शहरीकरण का सबसे बड़ा व प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है। राजमार्ग हों, चाहे छोटे मार्ग या गली-मोहल्ले की सड़कें, इनके पैदल पथों पर लोगों के टैंट, तंबू और झुग्गियां आकार लेने लगती हैं। इन अस्थायी आवासों में रहने वाले कुछ तो भारतीय आदिवासी, गरीब, सुदूर प्रदेशों से आए श्रमिक होते हैं, लेकिन अधिसंख्य विदेशी घुसपैठिए होते हैं। अतिक्रमण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मादक पदार्थों, मानव तस्करी, अवैध मुद्रा कारोबार, कालेधन के प्रसार और कई तरह की सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों के रूप में हमारे सम्मुख होता है। सार्वजनिक सड़कों, संपत्तियों, परिसंपत्तियों व अन्य स्थानों पर अतिक्रमण से बचने के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाई जानी चाहिए। इसके बाद अवैध अप्रवासी लोगों को भारत से बाहर किया जाना चाहिए। इन दो कार्यों को किए जाने के बाद भी यदि स्वदेशी स्वरूप में अतिक्रमण की गतिविधियां होती हैं, तो स्मार्ट सिटी परियोजना से ही इसका पूर्ण निराकरण किया जा सकता है।

उद्देश्य की ताकत

कौशलेंद्र प्रपन्न

दुनिया मेरे आगे

हम न्याय दर्शन के एक सूत्र के मुताबिक समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि बिना कारण यानी उद्देश्य के कोई भी काम नहीं होता। यानी कि बिना किसी कारण के न हम सांस लेते हैं, न कोई काम करते हैं, न खुद हंसते हैं, न किसी और पर हंसते हैं। कोई न कोई कारण या प्रयोजन और उद्देश्य होता है, जिससे हमारा व्यवहार संचालित होता है। हमारा हर वक्तव्य, गति और व्यवहार हमारे उद्देश्य की पूर्ति से प्रभावित और असर के घेरे में होते हैं। बिना मकसद और औचित्य के हम कुछ भी नहीं करते हैं।

हमारे जीवन की असफलता का राज ही यही है कि हम अपने रोज के जीवन में कई काम बिना उद्देश्य के करते हैं। अगर उद्देश्य हो तो शायद हम कई कामों को न करने की सूची में डाल दें। लेकिन दिक्कत यहीं आती है कि हम कई बार यह तय नहीं कर पाते कि कौन-सा काम और कदम हमारे लिए जरूरी है और किस काम को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। हम अपने उद्देश्य के निर्धारण में इतने उतावले और अधीर होते हैं कि तात्कालिक उद्देश्य को पाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। होता यह है कि जिसमें हमें पूरी क्षमता लगानी थी, वह अधूरी रह गई और विफलता हमारे हाथ आती है और शुरू होता है शिकायतों और आरोपों का खेल।

हमारे उद्देश्य कई बार हम नहीं, बल्कि हमारे अग्रज तय करते हैं। मां-बाप, यार-दोस्त और कई बार हमारे गुरु। होता यह है कि अगर कोई पूछ बैठे कि क्यों कर रहे हो, क्यों बीए कर रहे हो, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो आदि, तो हमारा जवाब होता है कि पिता ऐसा चाहते थे, चाचा या बुआ ने बताया था या फिर सारे दोस्तों ने उसी कोर्स के लिए फार्म भरे थे, सो मैंने भी भर दिया। यानी एक बात साफ है कि आपके उद्देश्य कोई और तय कर रहे थे। वर्षों गुजारने के बाद महसूस होता है कि मैं यह नहीं बनना चाहता था, यह तो उनकी इच्छा थी। तो आप क्या चाहते थे, यह सवाल आपको परेशान करना चाहिए!

एक शोध हुआ था, जिसमें मनोवैज्ञानिक ने विश्व के तकरीबन चार हजार ऐसे लोगों से साक्षात्कार किया, जो अपने जीवन और कार्य में सफल माने गए। भारत से गांधीजी को शामिल किया गया था। इस शोध में खिलाड़ी, संगीतकार, कलाकार, पत्रकार, मजदूर आदि शामिल थे। कोशिश यह की गई थी कि समाज के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को इस अध्ययन का हिस्सा बनाया जाए। लेखिका और शोधकर्ता ने बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी के उद्देश्य किसी और ने तय किए थे, लेकिन अपने जीवन और क्षमता को पहचान कर उन लोगों ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य को दुबारा लिखा और जीया। एक बड़ा संगीतकार, गिटारवादक आगे चल कर एक रसोइया बना। उस काम में उसे ऐसी प्रसिद्धि मिली कि अमेरिका के उच्च सदन में उसे सम्मानित किया गया। उसने बताया कि हम अपनी रुचि और ताकत को पहचाने बगैर पूरी जिंदगी दूसरों के उद्देश्यों पूरा करने में लगा देते हैं। मैंने एक दिन महसूस किया कि मुझे खाना बनाने में आनंद आता है। रुचि भी जगी और संगीत गिटार छोड़ कर खाना बनाने के काम में आ गया। ऐसे कई लोगों के उदाहरण मिलेंगे, जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी काम में गुजार दिया, लेकिन वे कुछ और करना चाहते थे।

हमारे जीवन की कथा यही है कि हम जाना कहीं और चाहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी कोई दूसरी दिशा पकड़ लेती है। आमतौर पर हम अपनी गलती के लिए दोषी किसी और परिस्थिति को ठहरा देते हैं। अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता तो कोई वजह नहीं कि हम सफल नहीं होते। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जब हमारे जीवन का लक्ष्य किसी और के प्रभाव और आकर्षण से निर्धारित होते हैं तो ऐसे में शायद हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य से मुहब्बत भी नहीं कर पाते। बिना रुचि और उत्साह के हम जिस काम को कर रहे होते हैं, उसमें सफलता पर संदेह रहेगा।

यों कोई भी सफल व्यक्ति और प्रोजेक्ट तभी कामयाब और मुकम्मल होता है, जब हम शुरू में अनुमानित संकटों और अवरोधों का आकलन कर उससे निपटने की योजना भी बना लेते हैं। हमेशा बल्कि समय-समय पर उद्देश्य हासिल करने के रास्ते और रणनीति का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करते रहते हैं। अपने जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए उसके अनुरूप रणनीति और कार्ययोजना बेहद जरूरी है। इसके बगैर हम अपने उद्देश्य से काफी दूर रहेंगे। हमेशा हमें अपने जीवन से शिकायत रहेगी। दरअसल, हम अपने जीवन में कई काम सिर्फ दूसरों को दिखाने और खुश करने के लिए करते हैं। इसमें हमारा अधिकारी, अभिभावक, परिवेश सभी शामिल हैं। इसमें हमारी अपनी खुशी और इच्छा कहीं पीछे छूट जाती है।

कैसी पारदर्शिता!

पारदर्शिता एवं सुशासन का दावा हर सरकार करती है। मगर उस दावे को हकीकत में बदल कर दिखाना किसी के बस में नहीं होता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मगर जो सत्ता में बैठा है, उसके जिम्मे यह बात है कि सिर्फ आरोपों का खंडन न करे, बल्कि यह साबित भी करे कि सभी आरोप मनगढंत है। वर्तमान केंद्र सरकार के लिए राफेल खरीद का मामला तूल पकड़ चुका है। दो अंग्रेजी दैनिकों में छपे लेख और दस्तावेजों से आए दिन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले इस सौदे में पीएमओ के दखल का सबूत पेश किया गया, फिर भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान को इस सौदे से हटवाया गया। इसके बाद ईमेल के माध्यम से यह रहस्योद्घाटन हुआ कि एक व्यापारी घराने के शीर्ष व्यक्ति का सौदे के करार पर हस्ताक्षर के कुछ दिन पहले फ्रांस में था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने भी कह दिया की उस घराने का नाम भारत सरकार ने हमें दिया। आखिर यह सब क्या है? क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना है?

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

कैग का बैग भी खाली

रफाल मुद्दे पर कोर्ट गए, संसद तक नहीं चलने दी, देश में सबूत जुटाए, विदेश से सबूत लाए। सब तरफ से हार कर 'कैग' को मामला सौंपा। और अंत में कैग का बैग भी खाली निकला। अब जांच के लिए एक ही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बची है। कैग ने यूपीए से भी 2.86 फीसद कम कीमत में रफाल खरीदने की बात कही है, कोर्ट ने सौदे को सही ठहराया है, संसद में लगातार बहस के दौरान भी कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में तो जनता का फैसला ही सबसे बड़ा होगा।

● *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

वोटों का गणित और बजट

अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार ने अंतरिम बजट में वोट के गणित का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा है; किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और नौकरीपेशा मध्यम वर्ग को चुनावी झुनझुना थमा कर रिझाने का भरपूर प्रयास किया गया है। किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और नौकरीपेशा मध्यम वर्ग के लिए बजट में करीब सवा लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के तीन करोड़ से ज्यादा किसानों को छह हजार रुपए दिए जाने की घोषणा को सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तीन हजार रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। मजदूरों एवं किसानों के प्रति सरकार की मेहरबानी सरकार के डर को बयां करती है। सरकार इस हकीकत से अनजान नहीं है कि मजदूरों और किसानों को नजरअंदाज करके ज्यादा दिन तक सत्ता में बने रह पाना मुश्किल होगा। अर्थशास्त्रियों की मानें तो इन घोषणाओं से राजकोषीय गणित बिगड़ेगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को अगर तुष्टिकरण का बजट कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

● *कुंदन कुमार, बीएचयू, वाराणसी*

प्रियंका से उम्मीदें

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं फ्रंटफुट पर खेलेगी। यह बात प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने के बाद उनके पहले लखनऊ दौरे में देखने को भी मिली है। अब बात यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का कायापलट कर पाएंगी? जिस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वे अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसा करिश्मा कर पाएंगी।

● *अनुपम सिंह, नोएडा*

आबादी की समस्या

भारत का हर कोना, हर नुक्कड़ ज्यादा आबादी होने का जीता-जागता उदाहरण है। 1951 में प्रथम जनगणना के अनुसार भारत की आबादी पैंतीस करोड़ थी, और 2011 तक यह आबादी बढ़ कर एक सौ इक्कीस करोड़ तक पहुंच गई। भारत की बढ़ती आबादी रोजगार एवं जल संकट जैसी कई अन्य गंभीर समस्याओं को जन्म दे रही है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियां नहीं बनाई गई। सन 1976 और 2000 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण नीतियां बनाई गई थी, लेकिन ये नीतियां लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहीं। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान और हरियाणा में 'टू चाइल्ड पॉलिसी' जैसी नीतियां लागू हैं, लेकिन इनके अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ रहे। नीति निर्माताओं को सशक्त जनसंख्या नीति बनाने के लिए पहल करनी चाहिए, जिससे आर्थिक विकास दर का बढ़ती आबादी की मांग के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

● *वीर सिंह, कुठौंद (जालौन)*

हादसा और सवाल

दिल्ली के करोलबाग में स्थित एक होटल में लगी आग के कारण कई लोग मौत के मुंह चले गए। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि आग लगने की संभावित वजह शॉर्ट सर्किट ही मानी जा रही है जो कि अभी तक पूरी तरह सही नहीं मानी जा सकती। इस दर्दनाक घटना ने प्रशासन व होटल संचालकों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाहियों की पोल खोल दी है। इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जैसे- क्या होटल संचालक को चार मंजिल से ऊपर इमारत बनाने से मना करने पर भी अवैध रूप से निर्माण करके काम करना सही है? इतने बड़े होटल में प्रशासन के कई बार चेताने पर भी कोई अग्निशामक यंत्र या सुरक्षा के उचित साधन न रखना क्या अपराध नहीं है? इससे पहले भी ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं होती रही हैं और सरकारें इनको रोकने में आज तक नाकाम साबित हुई हैं। इसलिए सरकार सिर्फ होटल संचालकों को ही दोषी ठहरा कर अपने आप को इस घटना से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक समय-समय पर प्रशासन के लोग ध्यान नहीं देंगे और इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही होगा ।

● *प्रदीप कुमार सारण, बीकानेर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com